राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प. 5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/पे–बिल/18208–517 जयपुर, दिनांक 17/12/12

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय :– माह फरवरी, 2013 से राज्य कर्मचारियों के आधार कार्ड की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

JDC(Adm)

संदर्भ :– सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग का परिपत्र क्रमांक 5992 दिनांक 17.10.2012

3/1/13

I. D. No. 21 /PS/CCE/0
Dated 4-1-13

महोदय,

संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्राथमिकता के आधार पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियो का आधार कार्ड नामांकन नियत दिनांक तक करना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

4/1/13

क्रमांक प. 5(थ–75)कोष/आईएफएमएस/पे–बिल/18208–517 जयपुर, दिनांक 17/12/12

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, समस्त को आहरण वितरण अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त

2921
4/1

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 26 (परिपत्र) स्था0 /निकाशि/2013/412 दिनांक 21/1/2013

1 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिको को आधार कार्ड बनाने हेतु निर्देशित करें।

2 श्री धीरेन्द्र देवर्षि वेबसाइट प्रभारी, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

3 स्थानीय स्थापना शाखा को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों से उनके द्वारा आधार कार्ड बनवाये गए है अथवा नहीं संबंधित सूचना प्राप्त कर सूचना की प्राप्ति के पश्चात संकुल में भी आधार कार्ड कैम्प लगवाने का प्रयास करें।

संयुक्त निदेशक

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक : F5(661)/DoIT/Tech/12/5992 दिनांक: 17/10/2012

परिपत्र

यू.आई.डी. (आधार) नामांकन का द्वितीय चरण राज्य में आरम्भ हो गया है। राज्य में अब तक लगभग 91 लाख यू.आई.डी. नामांकन कर लिए गये है। सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग, राज्य पंजीयक (आधार) के साथ डाक विभाग, एन.एस.डी.एल. तथा कुछ बैंक गैर–राज्य पंजीयक के रूप में "आधार" नामांकन का कार्य कर रहे है। मार्च 2013 तक राज्य के लगभग 2.5 करोड़ निवासियों का "आधार" नामांकन कर लिया जायेगा तथा अगले 17 माह में राज्य के सभी निवासियों का "आधार" नामांकन का कार्य कर लिया जायेगा।

नामांकन का कार्य "स्वीप मोड" में किया जा रहा है जिसके तहत नामांकन एजेंसी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत /तहसील की सम्पूर्ण जनसंख्या को नामांकित करने के बाद ही दूसरे क्षेत्र में नामांकन कार्य आरम्भ किया जायेगा। सभी तहसील मुख्यालयों पर सम्पूर्ण परियोजना अवधि के लिए स्थाई "आधार" नामांकन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

"आधार" के लाभों की आमजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभार्थी एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदकों से आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या प्राप्त किया जाये। इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि निम्न लिखित योजनाओं/सेवाओं में आवेदन करते समय आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या अनिवार्य होगा जिसके लिए विस्तृत निर्देश संबंधित विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

1. वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन (वर्तमान लाभार्थीयों को ये सेवाऐं बिना आधार संख्या/नामांकन संख्या के उपलब्ध होंगी।)
2. नरेगा जॉब कार्ड।
3. राशन कार्ड।
4. ड्राइविंग लाईसैंस
5. बिजली/पानी कनेक्शन
6. संपत्ति पंजीकरण
7. भू–अभिलेखो का नामान्तकरण एवं नकल प्राप्त करना
8. इंदिरा आवास योजना तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की व्यक्तिगत लाभ की योजनाऐं।
9. छात्रवृत्ति
10. शस्त्र लाईसैंस

सेवाओं के लक्षित वितरण एवं बोगस लाभार्थीयों के उन्मूलन हेतु सभी विभागों को भी निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में चल रही सेवाओं/योजना को "आधार" से जोड़ने की व्यवस्था करावें। उपरोक्त सेवाओं/योजनाओं "आधार" से जुड़ जाने पर इनके शेष लाभार्थीयों की "आधार" संख्या भी एक साथ एकत्रित की जा सकती है।

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in

जारी संख्या 16440
दिनांक 23/11/12

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

IT
प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

अनुलग्नक-'अ' में वर्णित जिन 14 तहसीलों में आधार नामांकन का कार्य पूर्व में आरम्भ हो गया है उन तहसीलों में माह जनवरी 2013 तक सभी ग्राम पंचायतों में "आधार" नामांकन कर लिया जायेगा। 1 फरवरी 2013 से इन तहसीलों के सभी निवासियों के लिए पूर्व में वर्णित 10 सेवाओं/योजनाओं के लिए आधार संख्या/आधार नामांकन सख्या अनिवार्य होगी। अन्य तहसीलों में आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या अनिवार्य किये जाने की समय-सीमा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा अलग से जारी की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों (सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, संस्थाऐं, स्वायत्तशासी निकायों सहित) के वेतन के लिए 1 फरवरी 2013 से आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या अनिवार्य होगी। अतः समस्त राजकीय कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे 1 फरवरी 2013 से पहले आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या प्राप्त कर लें। इस कार्य के लिए जिला एवं तहसील मुख्यालय पर आधार नामांकन केन्द्र स्थापित किये जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से-

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

क्रमांक : F5(661)/DoIT/Tech/12/ 5992

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें।

24/11
(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

22-11-12

IT Building, Yojana Bhawan Campus, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Ph: 0141-2224855, Fax : 0141-2222011
Website: http://www.doitc.rajasthan.gov.in